संoसंo–2 / आर–208 / 2025–

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वैoदाoनिoकोo) विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक

विषय : डा० किसलय पराग, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग), शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामसागर तालाब, गयाजी का दिनांक–01.09.2023 से 15.03.2024 तक की प्रभार रहित अवधि के विनियमन के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना सं०–797(2), दिनांक–29.07.2020 द्वारा डा० किसलय पराग, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग), अनुमंडलीय अस्पताल, बाढ, पटना में पदस्थापित किया गया। डा० पराग के द्वारा उक्त अधिसूचना के आलोक में दिनांक–03.08.2020 को योगदान समर्पित कर प्रभार ग्रहण किया गया।

विभागीय आदेश संख्या–696(17), दिनांक–25.08 2020 द्वारा बॉण्ड के पद पर तीन वर्ष के टेन्योर अवधि के लिए डा० किसलय पराग का पदस्थापन अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय गया में किया गया। उक्त के आलोक में डा० पराग के द्वारा दिनांक–01.09.2020 को प्रभार ग्रहण किया गया। परन्तु विभागीय अधिसूचना संख्या–620(17) दिनांक–12 08 2021 द्वारा पुनः चिकित्सकों को नए संस्थान तीन वर्ष की अनिवार्य सेवा हेतु पदस्थापित किया गया जिसके द्वारा डा० पराग को भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, नालन्दा में पदस्थापित किया गया। टेन्योर समाप्ति के उपरान्त प्राचार्य, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान सस्थान, नालन्दा के ज्ञापांक–1053 दिनांक–21.08.2023 द्वारा डा० पराग को विरमित किया गया जिसके आलोक में दिनांक–31.08.2023 को प्रभार त्याग किया गया। उक्त आलोक में डा० पराग के द्वारा दिनांक–01 09 2023 को स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में योगदान समर्पित किया गया।

विभागीय अधिसूचना स०–356(2), दिनाक–15.03.2024 के द्वारा डा० पराग को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगर प्रखंड, गया में पदस्थापित एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामसागर, तलाब, गया में प्रतिनियुक्त किया गया। उक्त के आलोक में डा० पराग के द्वारा 16.03.2024 को प्रभार ग्रहण किया गया। अतः डा० किसलय पराग विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग), शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामसागर तालाब, गयाजी का दिनाक–01 09.2023 से 15.03.2024 तक की अवधि को निम्नरूप में विनियमित किया जाता है:–

i.	दिनांक–01.09.2023 से 02.10.2023 तक	–	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।
ii.	दिनांक–03.10.2023 से 15.10.2023 तक	–	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम–180)
iii.	दिनांक– 16.10.2023 से 17.01.2024 तक	–	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।
iv.	दिनांक–18.01.2024 से 21.01.2024 तक	–	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम–180)
v.	दिनांक–22.01.2024 से 15.03.2024 तक	–	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।

2. प्रस्ताव में वित्त विभाग, बिहार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0 / –
(विनोद कुमार पाठक)

D>Sec-2>2025>niji schika> fines me jane wala fil chamtha

ज्ञापांक–2/आर–208/2025– 2601(2) पटना, दिनांक 30/10/2025

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गयाजी/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी ब्लॉक, गयाजी/जिला कोषागार पदाधिकारी, गयाजी/डा० किसलय पराग, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग), शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामसागर तालाब, गयाजी/प्रशाखा–3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।